24.

# न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर, सर्किल कोर्ट रीवा (म. प्र.)

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

Rs. 20/-

R - 3059 - III/14

480
14.8.14

दुर्गा प्रसाद तनय स्व. श्री भूमिजा प्रसाद चतुर्वेदी निवासी ग्राम डोमा, तहसील हुजूर जिला रीवा (म. प्र.)

.................... पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

1. रामनिवास तनय स्व. श्री बृजमोहन निवासी ग्राम डोमा तहसील हुजूर जिला रीवा (म.प्र.)। मृतक।
   वारिस सुरेन्द्र कुमार पाण्डेय तनय स्व. श्री रामनिवास पाण्डेय निवासी ग्राम डोमा तहसील हुजूर जिला रीवा (म.प्र.)।

2. विद्या प्रसाद चतुर्वेदी तनय श्री राममिलन चतुर्वेदी निवासी ग्राम डोमा, तहसील हुजूर जिला रीवा (म. प्र.)।

.................... गैर पुनरीक्षणकर्ता

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग0 3059–तीन/2014 जिला – रीवा

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 11–2–2015 | आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण में उपलबध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।<br>2/ आवेदक अभिभाषक ने तर्क दिया कि राजस्व निरीक्षक गोविन्दगढ़ तहसील हुजूर जिला रीवा के नामांतरण पंजी कमांक 09 दिनांक 13–6–1981 आदेश दिनांक 31–7–1981 के विरूद्ध दिनांकअधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर हुजूर जिला रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अपर कलेक्टर ने अपील के साथ अवधि विधान की धारा 5 मय शपथ पत्र के प्रस्तुत नहीं करने के कारण अपील को अवधि बाधित होने से निरस्त की गई। आवेदक अभिभाषक द्वारा यह भी तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय में आवेदक के अभिभाषक द्वारा समयावधि विधान की धारा 5 का आवेदन मय शपथ पत्र के प्रस्तुत नहीं करने से पक्षकार को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है क्योंकि पक्षकार को कानून का ज्ञान नहीं होता है एवं अभिभाषक द्वारा की गई त्रुटि की सजा पक्षकार को नहीं मिलना चाहिए। उनके द्वारा यह तर्क भी दिया कि आवेदक को बिना सूचना के राजस्व निरीक्षक द्वारा पंजी पर आदेश पारित कर दिया गया और आवेदक को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया। अतः आवेदक | |

को दिनांक 24–2–2014 को जानकारी प्राप्त हुई उसी दिनांक से आवेदक की अपील समय–सीमा में मान्य की जानी चाहिए थी।

3/ प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा अपर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत अपील में समयावधि विधान की धारा 5 का आवेदन मय शपथ पत्र के प्रस्तुत नहीं किये जाने पर अपर कलेक्टर ने अपील को समयबाधित मानते हुये अग्राह्य किया है। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत को दृष्टिगत रखते हुये किसी भी प्रकरण का निराकरण तकनीकी आधारों पर न किया जाकर गुण–दोष पर किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त अभिभाषक द्वारा की गई त्रुटि के लिए पक्षकार को दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। दर्शित परिस्थिति में यदि आवेदक अपर कलेक्टर के समक्ष समयावधि विधान की धारा 5 का आवेदन मय शपथ पत्र के प्रस्तुत करता है तो अधीनस्थ न्यायालय आवेदक द्वारा प्रस्तुत उक्त आवेदन पर उसे सुनवाई का अवसर देने के पश्चात विधिअनुकूल आदेश पारित करें। उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में निगरानी स्वीकार की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(डा0 मधु खरे)
सदस्य